



16/12 गजाल खंड / मारगल

आज्ञा पत्र

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.डी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिजॉर्ड फास्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। इच्छा होती वस्तु तलबी दिनांक 27-1-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

Noted
30/1/20
C

27-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांख्यिक 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।



सु-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक जज अपीलांत अधिकारी
सहायक (कैम्प/बुल्डोजर)